राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1362/2017/जोधपुर

मैसर्स माँ कृपा ग्रामोद्योग संस्थान,
जवासिया पीपाड़। .....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–तृतीय, पीपाड़ शहर, वृत बी, जोधपुर। .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री के.एल.जैन, सदस्य
श्री ओमकार सिंह, आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पी.एम.चौपड़ा, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 04.12.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी, राज्य कर, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 26 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 15.09.2017 के विरूद्ध अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई अपील इस आधार पर अस्वीकार की गई है कि अपील आवेदन को इलेक्ट्रोनिक ऑन लाईन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थी व्यवहारी के अभिभाषक ने कथन किया कि यद्यपि नियमानुसार अपील इलेक्ट्रोनिकली ही फाइल की जानी चाहिये परन्तु विभागीय वैबसाइट में तकनीकी खराबी के कारण एवं पोर्टल पर बार–बार Error दिखाये जाने के कारण उनके द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील ऑनलाईन पेश नहीं की जा सकी तथा ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा अपील मैन्यूअली फाइल की गई जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया गया। अतः तकनीकी बिन्दु पर अस्वीकार की गई अपील को विधि विरूद्ध बतलाते हुए उन्होंने सृजित मांग राशि को स्थगित रखते हुए व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने तथा अपीलीय अधिकारी के स्तर पर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने का निर्देश देने का निवेदन किया।

4. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को विधिक बताते हुए अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का अध्ययन किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा इस तकनीकी बिन्दु पर व्यवहारी की अपील अस्वीकार की गई है कि उसके द्वारा निर्धारित अवधि में अपील/स्थगन प्रार्थना पत्र कार्यालय में ऑनलाईन दर्ज नहीं कराई गई, जबकि व्यवहारी द्वारा इस बात का शपथ पत्र उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि उनके द्वारा प्रयास किये जाने के बावजूद भी ऑनलाईन अपील विभाग की वेबसाइट में तकनीकी खराबी के कारण अपलोड नहीं की जा सकी। इस तरह अपील ऑनलाईन प्रस्तुत नहीं करने में अपीलार्थी की कोई गलती नहीं है एवं इस तकनीकी आधार पर व्यवहारी को अपील करने का अधिकार से वंचित करना न्याय सम्मत नहीं है।

लगातार.....2

फलतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अपास्त कर प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी की अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर विधिक आदेश पारित करे। अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे दिनांक 26.12.2017 को मय समस्त तथ्यों व दस्तावेजों के अपीलीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। कर निर्धारण अधिकारी को यह निर्देश दिए जाते है कि वे अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगन आवेदन पर निर्णय करने तक वसूली कार्यवाही नहीं करे।

निर्णय सुनाया गया

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य

(के.एल.जैन)
सदस्य